

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**  
**अधिसूचना**

पटना, दिनांक-

संचिका सं०-17/विविध 1-47/2017 ...../स्वा०/स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-74(2) दिनांक-25.01.2017 के आलोक में सुचारु रूप से शैक्षणिक कार्य संचालित रखने हेतु कार्यहित/छात्रहित में संविदा के आधार पर प्राध्यापक,सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु राज्य के पाँच चिकित्सा महाविद्यालयों यथा पटना चिकित्सा महाविद्यालय पटना, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा, तथा अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया द्वारा महाविद्यालयवार लिये गए अलग-अलग साक्षात्कार के उपरांत प्राप्त अनुशंसा के आधार पर विभिन्न विभागों में प्राध्यापक,सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर कुल 28 (अट्ठाईस) चिकित्सकों को संविदा के आधार पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियत मानदेय पर निम्न प्रकार से नियोजित एवं पदस्थापित किया जाता है :-

**पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना**

क्र०	नाम	पदनाम	आरक्षण कोटि	विभाग
1.	डा० रत्ना प्रिया	सह-प्राध्यापक	अनारक्षित	बायोकेमिस्ट्री
2.	डा० बृन्द कुमार सिंह	सह-प्राध्यापक	अनारक्षित	बायोकेमिस्ट्री
3.	डा० आशुतोष कुमार	सह-प्राध्यापक	पिछड़ा वर्ग	माइक्रोबायोलॉजी
4.	डा० अजय कुमार	सह-प्राध्यापक	पिछड़ा वर्ग	रेडियोलॉजी (रेडियो -डायग्नोसिस)
5.	डा० अविनाश मुंशी	सह-प्राध्यापक	पिछड़ा वर्ग	रेडियोलॉजी (रेडियो -डायग्नोसिस)
6.	डा० विकास कुमार	सह-प्राध्यापक	अनारक्षित	पी०एम०आर०
7.	डा० अरुन्धति	सहायक प्राध्यापक	अनारक्षित	पैथोलॉजी
8.	डा० अभिषेक सिन्हा	सहायक प्राध्यापक	अनारक्षित	दंत रोग
9.	डा० दया शंकर	सहायक प्राध्यापक	पिछड़ा वर्ग	दंत रोग

**श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर**

क्र०	नाम	पदनाम	आरक्षण कोटि	विभाग
1.	डा० पंकज कुमार पटेल	सह-प्राध्यापक	अनारक्षित	पैथोलॉजी
2.	डा० सुजीत कुमार	सह-प्राध्यापक	अनारक्षित	कान, नाक एवं गला

**जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर**

क्र०	नाम	पदनाम	आरक्षण कोटि	विभाग
1.	डा० रीचा आंगिक	सह-प्राध्यापक	पिछड़ा वर्ग	दंत रोग
2.	डा० कन्हैया लाल गुप्ता	सह-प्राध्यापक	पिछड़ा वर्ग	हड्डी रोग
3.	डा० अरुणोदय कुमार	सहायक प्राध्यापक	पिछड़ा वर्ग	दंत रोग
4.	डा० विजय शेखर	सहायक प्राध्यापक	अनारक्षित	दंत रोग
5.	डा० निधि	सहायक प्राध्यापक	अनारक्षित	दंत रोग

**वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा**

क्र०	नाम	पदनाम	आरक्षण कोटि	विभाग
1.	डा० इन्द्रदेव प्रसाद चौधरी	प्राध्यापक	अनारक्षित	शिशु रोग
2.	डा० अब्बास मुस्तफा	प्राध्यापक	अनारक्षित	सर्जरी
3.	डा० जवाहर लाल	प्राध्यापक	पिछड़ा वर्ग	रेडियोलॉजी
4.	डा० रामेश्वर सिंह	प्राध्यापक	पिछड़ा वर्ग	दंत रोग
5.	डा० ममता कुमारी	सह-प्राध्यापक	अति पिछड़ा वर्ग	एनाटॉमी
6.	डा० सुबोध कुमार	सह-प्राध्यापक	अति पिछड़ा वर्ग	बायोकेमिस्ट्री
7.	डा० अमित कुमार झा	सह-प्राध्यापक	अनारक्षित	फार्माकोलॉजी
8.	डा० लक्ष्मन कुमार	सह-प्राध्यापक	पिछड़ा वर्ग	पी०एस०एम०
9.	डा० जरीन रहमान	सह-प्राध्यापक	अनारक्षित	स्त्री रोग एवं प्रसव

**अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया**

क्र०	नाम	पदनाम	आरक्षण कोटि	विभाग
1.	डा० समीर जैन	प्राध्यापक	अनारक्षित	डेन्टिस्ट्री
2.	डा० अभय कुमार	सह-प्राध्यापक	अति पिछड़ा वर्ग	साइकेट्री
3.	डा० विमलेश्वर कुमार	सह-प्राध्यापक	अनारक्षित (विकलांग)	डेन्टिस्ट्री

- संविदा पर नियोजित चिकित्सकों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने पदस्थापन स्थान पर सात (07) दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण कर सूचित करेंगे।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य योगदान स्वीकृति के पूर्व अभ्यर्थियों की अर्हता, चारित्री, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं योग्यता की जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे अन्यथा किसी भी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति के लिए प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। प्राचार्य योगदान के समय एक हजार रुपये के नन-ज्यूडिसियल/एथैसिव स्टाम्प पर संबंधित अभ्यर्थी से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुबंध संबंधी विहित प्रपत्र में अनुबंध हस्ताक्षरित करा लेंगे।
- संविदा के आधार पर नियोजित चिकित्सक शिक्षकों का भविष्य में उक्त नियोजन के आधार पर नियमित नियुक्ति संबंधी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- संविदा पर नियोजित सभी चिकित्सक शिक्षकों को विभागीय आदेश संख्या-435(17) दिनांक-27.07.2017 में निहित प्रावधान एवं अनुदेश के अनुसार संविदा आधारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा, मानदेय की निकासी एवं भुगतान संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य, विभाग से प्राप्त आबंटन के विशेष अदायगी मद से करेंगे तथा इसकी सूचना निदेशानुसार विभाग को देंगे।
- समय-समय पर इनके कार्य एवं आचरण की समीक्षा की जाएगी, जिसे असंतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में समय से पूर्व भी कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
- आदेश में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर तदनुसार संशोधन कर लिया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-17/विविध 1-47/2017 - 614/17/पटना, दिनांक :- 5/9/17

प्रतिलिपि :- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0एवंह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/तिरहुत प्रमंडल/मुंगेर प्रमंडल/मगध प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/बिहारशरीफ, नालंदा/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, (डा0 कौशल किशोर)/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा 01,02,03,09,17 एवं 18A, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी नियोजित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।  
२३/९